

पर्या डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न० 202/2025

1. सुभाषचन्द्र } लिच्छीराम जाति जाट निवासी 11 एस. एल. डबल्यू तहसील टिब्बी
2. कालूराम } जिला हनुमानगढ़
3. सुरेन्द्र कुमार }

वादीगण

बनाम्

1 रजो पत्नी लिच्छीराम जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 10/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं० 11 एस.एल. डबल्यू के खाता सं० 96/62 में कुल 7.969 है० में से 1/4 हिस्सा. चकनं० 1 एम.डी. के खाता सं० 43/42 में कुल 5.060 है० में से 1/4 हिस्सा, चकनं० 1 एम.डी के खाता सं० 44/41 में कुल 3.669 है० आराजी में से 1/4 हिस्सा आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त चको में प्रतिवादी लिच्छीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 10/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर (सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।